भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3487

जिसका उत्तर 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

सहकारी बैंकों का कार्यकरण

3487. श्री एंटो एन्टोनीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की देश में सहकारी बैंकों के कामकाज के संबंध में कोई भूमिका अथवा कोई नियंत्रण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में कार्यरत सहकारी बैंकों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह अनिवार्य है कि जमाकर्ताओं के ब्यौरे भारत सरकार के साथ साझा किए जाएं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि सहकारी बैंकों की कार्य-पद्धति संबंधित राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम से निर्देशित होती हैं। राज्य स्तर पर संबंधित राज्य के सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार (आरसीएस) सहकारी बैंकों पर नियंत्रण रखते हैं। तथापि, सहकारी बैंकों के बैंकिंग से संबंधित कार्य बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा सहकारिताओं के लिए लागू हो) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किए जाते हैं।

(ख): नाबार्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचनानुसार देश में कार्यरत सहकारी बैंकों की सूची **अनुबंध I से IV** में दी गई है।

(ग): आरबीआई ने सूचित किया है कि अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के बारे में दिनांक 25.2.2016 के इसके मास्टर निदेश के अनुसार, सहकारी बैंकों सहित आरबीआई द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं को लेन-देन/खातों का ब्यौरा साझा/प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जैसा कि वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) के साथ धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड का रख-रखाव) नियम, 2005 के अंतर्गत आवश्यक है।

*****

दिनांक 15.07.2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3487 का अनुबंध-I **बैंक का नाम -** राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक **(एससीएआरडीबी)**/प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकासबैंक **(पीसीएआरडीबी) -**		
क्र.सं.	**एससीएआरडीबी**	**पीसीएआरडीबी**
	राज्य का नाम	
1	गुजरात	हरियाणा
2	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश
3	हिमाचल प्रदेश	कर्नाटक
4	कर्नाटक	केरल
5	केरल	पंजाब
6	पंजाब	राजस्थान
7	राजस्थान	पश्चिम बंगाल
8	त्रिपुरा	तमिलनाडु
9	उत्तरप्रदेश	]
10	पश्चिम बंगाल	]
11	जम्मू	]
12	पांडिचेरी	]
13	तमिलनाडु	]

स्रोत:नाबार्ड

दिनांक 15.07.2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3487 का अनुबंध-II

बैंक का नाम - राज्य सहकारी बैंक (एससीबी)

क्र.सं.	बैंक का नाम
1	छत्तीसगढ़
2	मध्य प्रदेश
3	उत्तराखंड
4	उत्तरप्रदेश
5	अंडमान और निकोबार
6	बिहार
7	झारखंड
8	ओडिशा
9	पश्चिम बंगाल
10	अरुणाचल प्रदेश
11	असम
12	मणिपुर
13	मेघालय
14	मिजोरम
15	नागालैंड
16	सिक्किम
17	त्रिपुरा
18	चंडीगढ़
19	हरियाणा
20	हिमाचल प्रदेश
21	जम्मू और कश्मीर
22	नई दिल्ली
23	पंजाब
24	राजस्थान
25	आंध्रप्रदेश
26	कर्नाटक
27	केरल
28	पुदुचेरी
29	तमिलनाडु
30	तेलंगाना
31	गोवा
32	गुजरात
33	महाराष्ट्र

स्रोत:नाबार्ड

दिनांक 15.07.2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3487 का अनुबंध-III बैंक का नाम - जिला मध्यवर्तीसहकारी बैंक (डीसीसीबी)		
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**बैंकों की संख्या**
1	छत्तीसगढ़	6
2	मध्य प्रदेश	38
3	उत्तराखंड	10
4	उत्तरप्रदेश	50
5	बिहार	22
6	झारखंड	1
7	ओडिशा	17
8	पश्चिम बंगाल	17
9	हरियाणा	19
10	हिमाचल प्रदेश	2
11	जम्मू और कश्मीर	3
12	पंजाब	20
13	राजस्थान	29
14	आंध्रप्रदेश	13
15	कर्नाटक	21
16	केरल	14
17	तमिलनाडु	23
18	तेलंगाना	9
19	गुजरात	18
20	महाराष्ट्र	31
	कुल	**363**

स्रोत:नाबार्ड

दिनांक 15.07.2019 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3487 का अनुबंध- IV शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वितरण		
क्र.सं.	**राज्य**	**यूसीबी की संख्या**
1	आंध्रप्रदेश	47
2	असम	8
3	बिहार	3
4	छत्तीसगढ़	12
5	दिल्ली	15
6	गोवा	6
7	गुजरात	218
8	हरियाणा	7
9	हिमाचल प्रदेश	5
10	जम्मू और कश्मीर	4
11	झारखंड	2
12	कर्नाटक	263
13	केरल	60
14	मध्य प्रदेश	49
15	महाराष्ट्र	495
16	मणिपुर	3
17	मेघालय	3
18	मिजोरम	1
19	ओडिशा	9
20	पुदुचेरी	1
21	पंजाब	4
22	राजस्थान	35
23	सिक्किम	1
24	तमिलनाडु	129
25	तेलंगाना	51
26	त्रिपुरा	1
27	उत्तरप्रदेश	62
28	उत्तराखंड	5
29	पश्चिम बंगाल	43
	कुल	**1542**

[illegible]